वित्तीय स्वीकृति

संख्या- 3/21/113/52-3-21-सा(18)/2020

प्रेषक,

इच्छाराम
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 01 फरवरी, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान/अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 19.01.2021 संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान/अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु बजट में प्रावधानित धनराशि रू0 1400.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 के प्रस्तर-2(6) की व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान/अनुरक्षण अनुदान के भुगतान हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 14,00,00,000/- में प्रथम किश्त (दो माह हेतु) रू0 233.33 लाख के निर्गतोपरान्त अवशेष धनराशि रू0 11,66,67,000/- में से द्वितीय किश्त (दो माह हेतु) रू0 233.33 लाख (रू0 दो करोड़ तेतिस लाख तेतिस हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करते हुये व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि भवनों के रख रखाव इत्यादि के लिये उन्हीं मदरसों को अनुदान दिया जायेगा, जिनका स्वामित्व स्वयं मदरसों का ही हो अथवा उनको संचालित करने वाली संस्था का हो।

(3) यह वित्तीय स्वीकृतियाॅ जिलों को तत्काल आवंटित कर दी जाय तथा जिलेवार आवंटित धनराशि की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा समय≤ पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरुप सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 28.02.2021 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान/अनुरक्षण अनुदान की दरों में बढ़ोत्तरी हेतु शासनादेश संख्या-641/52-3-2019-सा(49)/2019 दिनांक 26.07.2019 के अधीन संबंधित धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-06-अरबी फारसी मदरसों को पोषण अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-4-95/दस-2021, दिनांक 01 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

<u>संख्या- 113(1)/52-3-21-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग, लखनऊ।
4-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
7-वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इच्छाराम)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।